न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 97 / 2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सामुएल तिडू – विक्रेता

सुमित्रा देवी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16/07/18	**आदेश** आवेदक सामुएल तिडू पिता स्व0 बरनबास तिडू ग्राम तिरला, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुमित्रा देवी पति श्री राजेश नाग ग्राम लान्दुप, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
तिरला	78	42	254	0.06½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद सं0 714286 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 600 दिनांक 06.07.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम लन्दरू मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार बरनाबास तिडू वगैरह है। आवेदक के पास ग्राम तिरला खाता नं0 42 रकवा 2.68 एकड़ वो ग्राम कदमा के खाता नं0 35 रकवा 1.80 एकड कुल रकवा 4.48 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.41½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता–वि क्रे ता को भूमि क्रय–वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सामुएल तिडू पिता स्व0 बरनबास तिडू को सुमित्रा देवी पति श्री राजेश नाग के साथ ग्राम तिरला के खाता सं0 42 खेसरा संख्या 254 का रकबा 0.06½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 7000.00(सात हजार)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 16/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 16/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।